

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020-21

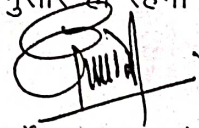
दिनांक:- 08/09/2021

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा

विषय:-शाला दर्पण में **online APAR** में **E-Sign** के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि APAR ऑनलाईन मॉड्यूल के सम्बंध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को भी इस हेतु निर्देशित करें।

1. शाला दर्पण मॉड्यूल वर्ष 2020-21 में प्रतिवेदक अधिकारी स्तर से प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रेषित करने हेतु E-Sign (आधार प्रमाणीकरण) प्रारम्भ किया गया है। सम्बंधित समस्त प्रतिवेदक अधिकारी निश्चित समय में प्रतिवेदन समीक्षक अधिकारी को ऑन लाईन प्रेषित करना सुनिश्चित करें। समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर E-Sign की प्रक्रिया के लिए पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे।
2. प्रतिवेदक अधिकारी समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व मॉड्यूल में उपलब्ध क्या प्रतिवेदन/समीक्षा अवधि में धारित पद में अंतर है? फंक्शन का उपयोग मॉड्यूल के FAQs टैब में उपलब्ध दिशा-निर्देश के अनुसार करेंगे।
3. जिन लोक सेवकों ने सत्र 2020-21 एपीएआर शाला दर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाईन नहीं की है। उन्हें तत्काल ऑनलाईन के लिए पांबद करें। सहज संदर्भ हेतु सम्बंधित लोकसेवकों के नाम मॉड्यूल के APAR Application Report के Application Not Created से प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. E-Sign की प्रक्रिया के पश्चात मॉड्यूल में Steps to Validate Signature Tab पर उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार APAR पर Signature Validate की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से किया जाना है।
5. द्वितीय श्रेणी कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक मावि एवं प्रधानाचार्य केडर द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी को APAR ऑनलाईन प्रेषित करने की अन्तिम तिथि में वृद्धि करते हुए 15.09.2021, 11:59 PM निर्धारित की जाती है। शेष समय सारणी इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30.07.2021 के अनुसार ही रहेगी।



(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020-21

दिनांक:- 08/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. जयपुर।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर/अजमेर।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मु0) प्रा0/मा0
8. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
9. समस्त पीईईओ/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक-माध्यमिक शिक्षा।
10. शाला दर्पण प्रभारी, जयपुर/बीकानेर प्रकोष्ठ।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)